

1-9/11/22 - सुट्टी दिनांक 7/2012

दिनांक	आज्ञा पत्र	क्रमांक
--------	------------	---------

11.10.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 9.10.22 पर है। अतः पत्रावली आजानुसार दिनांक 12.10.22 को पेश हो।

12.10.22

पत्रावली प्रस्तुत आभेभाषक सघ न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 11.11 को पेश हो।

7.11.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 5.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 9.11.22 को पेश हो।

9.2.22

पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस को रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल टफसर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प बुन्दनू)

